

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर-302015
(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141-2742309, ई-मेल jdp-ta-rj@nic.in)

क्रमांक:- एफ.3 (ख) (के-डीजीएस/94)/अलेसे-11/

1588

दिनांक 27/10/2017

कार्यालय आदेश

विभागीय आदेश संख्या 100/2017-18 दिनांक 04.07.2017 के द्वारा श्री कृष्णकांत शर्मा (लिंक नं. 2762), सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11 कार्यालय अतिरिक्त आयुक्त, आबकारी विभाग, उदयपुर का स्थानान्तरण/पदस्थापन जिला एवं सेशन न्यायाधीश, विधि विभाग, उदयपुर में किया गया था।

श्री कृष्णकांत शर्मा द्वारा उक्त आदेश की अनुपालना में आज दिनांक तक नवीन पदस्थापन विभाग/कार्यालय में कार्यग्रहण नहीं किया गया है। अतः श्री कृष्णकांत शर्मा को इस निदेशालय स्तर से आज दिनांक 27.10.2017 को मध्याह्न पश्चात् कार्यमुक्त किया जाकर निर्देश दिये जाते हैं कि वे तुरन्त अपने नवीन पदस्थापन विभाग/कार्यालय में कार्यग्रहण कर इस निदेशालय को सूचित करें।

(सांवर मल)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-11)

क्रमांक:- एफ.3 (ख) (के-डीजीएस/94)/अलेसे-11/

1588

दिनांक 27/10/2017

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त आयुक्त, आबकारी विभाग, उदयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, विधि विभाग, उदयपुर।
3. श्री कृष्णकांत शर्मा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11 कार्यालय अतिरिक्त आयुक्त, आबकारी विभाग, उदयपुर।
4. उपनिदेशक (एसीपी) कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं पीआईएस में Updation करने हेतु।
5. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक महोदया।
6. पदस्थापन सीट/रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-11)